न्यायालयः-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - आशीष मीना, आर.जे.एस.

नि.फौ.प्रकरण संख्या - 858/2025

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

अभियोगी....

बनाम

मोनू पुत्र जगदीश, निवासी-गणेश मन्दिर नई बस्ती, पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड़

अभियुक्त....

अपराध अन्तर्गत धारा 281, 125(ए) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/181 एमवी एक्ट

उपस्थितः-

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री दुर्गाशंकर गोयल, श्री अश्विनी कुमार मेवाड़ा विद्वान अधिवक्तागण, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय दिनांकः- 16-03-2026

01- थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125(ए) व धारा 3/180 एमवी एक्ट का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए अभियुक्त के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 27-08-2025 को पेश किया गया।

02- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 24-06-2025 को फरियादी/मजरूब दिनेश ने एसआरजीएच अस्पताल झालावाड़ में एक पर्चा बयान इस आशय का पेश किया कि वह कटफली रामपुरिया का रहने वाला है। दिनांक 22.06.2025 को शाम 9 बजे करीब की बात है। वह उसके खेत से पैदल पैदल गांव कटफली रामपुरिया जा रहा था। एनएच 52 कटफला पहुंचा कि एक मोटरसाईकिल चालक मोनू निवासी अकलेरा का उसकी मोटरसाईकिल को काफी तेज गति गफलत लापरवाही से चलाकर लाया और उसके पीछे से टक्कर मार दी जिससे उसके पीछे सिर में बांयी तरफ ललाट व बांयी आंख के पास लगी, खून निकल आया व फिर उसने घर पर फोन लगाया। फिर उसके पिता मोतीलाल आए और उसे ईलाज हेतु उसके पिताजी सरकारी अस्पताल ले गए। फिर वहां से सरकारी अस्पताल में ईलाज करवाने आया और उसे भर्ती कर दिया।, इत्यादि।

03- उपरोक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना अकलेरा पर मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 351/2025, अन्तर्गत धारा 281, 125(ए) भारतीय न्याय संहिता दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 281, 125(ए) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/181 एमवी एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा इन्हीं धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

04- अभियुक्त को धारा 281, 125(ए) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/181 एमवी एक्ट के आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाए व समझाए गए, तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05- अभियोजन पक्ष ने अपनी अभियोजन कहानी के समर्थन में पी.डब्ल्यू. 01 पंकज, पी.डब्ल्यू. 02 महेश, पी.डब्ल्यू. 03 दिनेश, पी.डब्ल्यू. 04 राजाराम, पी.डब्ल्यू. 05 दयालचंद, पी.डब्ल्यू. 06 डॉ. प्रणब प्रसाद, पी.डब्ल्यू. 07 कमलेश, पी.डब्ल्यू. 08 सोनू, पी.डब्ल्यू. 09 राजेन्द्र प्रसाद को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श पी. 01 लगायत पी. 07 तक व पुलिस बयान प्रदर्श डी. 01 व डी. 02 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

06- साक्ष्य अभियोजन बन्द की गई तथा अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया, तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

07- बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

08- दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

09- दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है, गवाहान की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि वक़्त दुर्घटना, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक कौन था। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

10- बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु निम्न है, कि-

(1). आया अभियुक्त ने दिनांक 22-06-2025 को समय रात 9 बजे बजे करीब मौजा एनए. 52 कटफला अकलेरा वाहन मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे 17 जी.एस 9594 को तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसाईकिल के टक्कर मारी, जिससे उसके शरीर पर साधारण चोटें कारित हुई तथा उक्त वक्त दुर्घटना वाहन हीरो स्पलेण्डर प्लस रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे 17 जी.एस 9594 का वैध अनुज्ञा पत्र नहीं है तथा उक्त वाहन को यह जानते हुए चलाया कि उक्त वाहन को चलाने बाबत वैध अनुज्ञा पत्र नहीं है। इस प्रकार क्या अभियुक्त ने धारा 281, 125(ए)

भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/181 एमवी एक्ट के तहत् दण्डनीय अपराध कारित किया?

(2). यदि हॉं, तो दोषी होने पर दण्ड की मात्रा कितनी हो?

11- उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का सुक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। हस्तगत प्रकरण फरियादी दिनेश द्वारा प्रस्तुत पर्चा बयान प्रदर्श पी. 02 पर आधारित है, जिसमें उसने अंकित किया है कि वह कटफली रामपुरिया का रहने वाला है। दिनांक 22.06.2025 को शाम 9 बजे करीब की बात है। वह उसके खेत से पैदल पैदल गांव कटफली रामपुरिया जा रहा था। एनएच 52 कटफला पहुंचा कि एक मोटरसाईकिल चालक मोनू निवासी अकलेरा का उसकी मोटरसाईकिल को काफी तेज गति गफलत लापरवाही से चलाकर लाया और उसके पीछे से टक्कर मार दी जिससे उसके पीछे सिर में बांयी तरफ ललाट व बांयी आंख के पास लगी, खून निकल आया व फिर उसने घर पर फोन लगाया। फिर उसके पिता मोतीलाल आए और उसे ईलाज हेतु उसके पिताजी सरकारी अस्पताल ले गए। फिर वहां से सरकारी अस्पताल में ईलाज करवाने आया और उसे भर्ती कर दिया।, इत्यादि।

12- अभियोजन की ओर से प्रकरण में कुल 9 गवाह परीक्षित करवाए गए है जिनमें सर्वप्रथम गवाह फरियादी दिनेश न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू. 03 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में पर्चा बयान प्रदर्श पी. 02 की ताईद की है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि उसने प्रदर्श पी. 02 मोटरसाईकिल नं. नहीं लिखे थे क्योंकि वह बेहोश हो गया था। वक्त घटना उसने मोटरसाईकिल चालक को नहीं देखा था, किसने टक्कर मारी थी। घटना अज्ञात वाहन से हुई थी।

13- गवाह पी.डब्ल्यू. 02 महेश है जिसने अपने न्यायालय बयान में मुख्य परीक्षण में घटना की ताईद की है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुए। नक्शा मौका प्रदर्श पी. 01 कहां का बनाया, उसे याद नहीं है। प्रदर्श डी. 02 का ए से बी भाग गलत लिखा हुआ है, उसने नहीं लिखाया। गाड़ी कौन चला रहा था और चालक कौन था उसे पता नहीं है। गवाह पी.डब्ल्यू. 01 पंकज है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी. 01 का ए से बी भाग उसने नहीं लिखाया। रात अंधेरी थी वहां से ट्रक और वाहन आ जा रहे थे। गाड़ी किसके नाम है, पता नहीं है। गवाह पी.डब्ल्यू. 04 राजाराम है जिसके द्वारा प्रकरण के मजरूब दिनेश के पर्चा बयान उसके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए थे।

14- गवाह पी.डब्ल्यू. 05 दयालचंद है जिसके द्वारा प्रकरण में मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर आर.जे 17 जी.एस 9594 का यांत्रिक परीक्षण किया गया था। गवाह पी.डब्ल्यू. 06 डॉ. प्रणब प्रसाद है जिसके द्वारा थाना अकलेरा के प्रतिवेदन पर मजरूब दिनेश के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल परीक्षण किया गया था। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि उक्त प्रकार की चोटें किसी व्यक्ति के मोटरसाईकिल के फिसलने से गिरने पर आना संभव है। गवाह पी.डब्ल्यू. 07 कमलेश व पी.डब्ल्यू. 08 सोनू है। उक्त दोनों गवाहान फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 07 के गवाह है जिन्हें न्यायालय में परीक्षित होने पर अभियोजन

अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है जिन्होंने एक स्वर में कथन किया है कि उनके सामने पुलिस ने कोई मोटरसाईकिल जप्त नहीं की। उनके खाली कागज पर हस्ताक्षर थाने पर करवाए थे। प्रदर्श पी. 07 पुलिस ने उन्हें पढ़कर नहीं सुनाई।

15- गवाह पी.डब्ल्यू. 09 राजेन्द्र प्रसाद है जिसके द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किया गया था। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि जिस मोटरसाईकिल से दुर्घटना कारित हुई है उस मोटरसाईकिल के नं. पर्चा बयान प्रदर्श पी. 02 पर नहीं लिखे हुए हैं। जिस वाहन से दुर्घटना हुई वह वाहन भी झालवाड़ की तरफ से अकलेरा आ रहा था। घटना के समय मोटरसाईकिल चालक शराब के नशे में था परंतु मोटरसाईकिल चालक का शराब के नशे में होने बाबत कोई मेडिकल मुआयना नहीं कराया।

16- इस प्रकार सभी गवाहों की साक्ष्य विवेचन से स्पष्ट है कि पत्रावली में फरियादी/मजरूब ने कथन किया है कि वक्त घटना उसने मोटरसाईकिल चालक को नहीं देखा था, किसने टक्कर मारी थी। घटना अज्ञात वाहन से हुई थी। अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 01 पंकज व पी.डब्ल्यू. 02 महेश ने भी पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श डी. 01 व डी. 02 का ए से बी भाग गलत होना बताया है। अनुसंधान अधिकारी ने कथन किया है कि पर्चा बयान प्रदर्श पी. 02 पर मोटरसाईकिल के नंबर नहीं लिखाए थे। फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 07 से संबंधित दोनों गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए है जिन्होंने कथन किया है कि उनके खाली कागज पर पुलिस ने हस्ताक्षर करवाए थे। पत्रावली में टक्कर मारने वाले चालक का नाम किसी भी गवाह द्वारा नहीं बताया गया। दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाईकिल के नंबर नहीं बताए गए। प्रकरण में किसी भी गवाहान की साक्ष्य से मुल्जिम द्वारा अपराध कारित किया जाना साबित नहीं हुआ है।

17- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के सुक्ष्म विश्लेषण व उपरोक्त विवेचन से अभियोजन पक्ष इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 22-06-2025 को समय रात 9 बजे बजे करीब मौजा एनए. 52 कटफला अकलेरा वाहन मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे 17 जी.एस 9594 को तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसाईकिल के टक्कर मारी, जिससे उसके शरीर पर साधारण चोटें कारित हुई तथा उक्त वक्त दुर्घटना वाहन हीरो स्पलेण्डर प्लस रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे 17 जी.एस 9594 का वैध अनुज्ञा पत्र नहीं है तथा उक्त वाहन को यह जानते हुए चलाया कि उक्त वाहन को चलाने बाबत वैध अनुज्ञा पत्र नहीं है। अतः अभियुक्त आरोपित अपराध धारा 281, 125(ए) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/181 एमवी एक्ट में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

आदेश

18- अतः अभियुक्त मोनू पुत्र जगदीश, निवासी-गणेश मन्दिर नई बस्ती, पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ को धारा 281, 125(ए) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/181 एमवी एक्ट के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता

है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत पूर्व के जमानत-मुचलके निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण में प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीज़न निरस्त समझे जाए।

19- अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437 'क' दं.प्र.सं. के तहत् 10,000/- की राशि का स्वयं का मुचलका व इसी कदर राशि की एक जमानत न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा,जिला-झालावाड़(राज.)

20- निर्णय आज दिनांक 16-03-2026 को खुले न्यायालय में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा सुनाया जाकर लिखाया गया।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा,जिला-झालावाड़(राज.)

<u>प्रमाण-पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

RAJARAM MEENA
Steno Gr. III "Authenticate Document" Digitally signed by RAJARAM MEENA Date: 2026.03.16 04:31:48 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।